

फा0 सं0 19011/15/2009-एमपीआर

भारत सरकार

रसायन और उर्वरक मंत्रालय

उर्वरक विभाग

कमरा सं0 407, बी विंग

शास्त्री भवन, नई दिल्ली

27 जनवरी, 2010


कार्यालय जापन

विषय: आयातक के रूप में नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों की रियायत योजना में मैसर्स द फॉस्फेट कंपनी लिमिटेड, 14 नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001 को शामिल करना।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि मैसर्स द फॉस्फेट कंपनी लिमिटेड, कोलकाता द्वारा प्रस्तुत दिनांक 9.9.2009 और 22.12.2009 के अभ्यावेदनों की जांच के आधार पर उर्वरक विभाग एतद्वारा इस कंपनी को तत्काल प्रभाव से पीएण्डके उर्वरकों के आयात के लिए नियंत्रणमुक्त पीएण्डके उर्वरकों की रियायत योजना में शामिल करती है।

2. दो वर्ष की प्रारंभिक अवधि में कंपनी बैंक गारंटी प्रस्तुत करने के बाद ही रियायत के 'लेखागत' भुगतान का दावा करने की पात्र होगी।

3. इसे सचिव (उर्वरक) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।



(वीरेन्द्र गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष: 23388536

निदेशक (वित्तीय सलाहकार)


उर्वरक विभाग,

उद्योग भवन, नई दिल्ली

फैक्स : 23063778

प्रतिलिपि :

1. सीए/पीएण्डएओ/निदेशक (संचालन)/निदेशक (एफए)/निदेशक (वित्त)/एएफए/एसओ (आईएफडी)/एसओ (जेयू)
2. एफएआई, 10 शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली
3. अवर सचिव/सहायक निदेशक (रियायत विंग)/सहायक निदेशक (एफए विंग)
4. एनआईसी, उर्वरक विभाग को विभाग की वेबसाइट में अपलोड करने के लिए
5. मैसर्स द फॉस्फेट कंपनी लिमिटेड, 14 नेताजी सुभाष रोड, कोलकाता-700001



(वीरेन्द्र गुप्ता)

अवर सचिव, भारत सरकार

दूरभाष सं0 23388536